राज्य मुकदमा नीति

न्याय विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	उद्देश्य	01—03
3	शासकीय प्रतिनिधित्व	03—04
4	स्थगन	04—05
5	अपील दाखिल करना	05—07
6	परिसीमन—विलम्बित अपीलें	07—08
7	वैकल्पिक विवाद समाधान माध्यस्थम	08—09
8	विशिष्टीकृत मुकदमा	09—10
9	शक्तिमत्ता या परिनियमों या नियमों एवं विनियमों के अन्तर्वलित मामले	10
10	लोकहित के मुकदमें	10
11	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित मुकदमें	10
12	लम्बित मुकदमों की समीक्षा	10

राज्य मुकदमा नीति

प्रस्तावना :—

चूँकि विचाराधीनता तथा विलम्ब को कम करने हेतु न्यायपालिका के सशक्तीकरण के लिये 24 तथा 25 अक्टूबर, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में संघ मंत्री, विधि एवं न्याय ने संकल्प प्रस्तुत किये, जिन्हें पूरे सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

और जिसमें उक्त संकल्प के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा मुकदमों के उत्तरदायित्वपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुकदमा नीति तैयार करने के लिये की गई पहल को अभिस्वीकृत किया गया तथा सभी राज्य सरकारों को समरूप नीतियां तैयार करने के लिये प्रेरित किया गया।

राष्ट्रीय मुकदमा नीति के अनुसरण में तथा न्यायालयों में विचाराधीनता को कम करने और मुकदमों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने एतद्द्वारा एक राज्य मुकदमा नीति तैयार की है।

राज्य मुकदमा नीति निम्नवत् है :—

एक—उद्देश्य :—

1—राज्य मुकदमा नीति का उद्देश्य मुकदमों में भारी विचाराधीनता को समाप्त करना तथा मुकदमों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में मुकदमों की संख्या सर्वाधिक है और इसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक जिम्मेदार वादी की भांति मुकदमों की पैरवी करनी चाहिये। एक जिम्मेदार वादी के रूप में राज्य के लिये यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करें कि अच्छे मुकदमों को जीता जाय तथा बुरे मुकदमों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाय।

- एक साधारण वादी की भांति मुकदमों को किसी भी कीमत पर जीतने के उद्देश्य से पैरवी न करे।
- केवल मुकदमा करने के लिये मुकदमा न करे।
- यह सुनिश्चित करें कि झूठी दलीलें न दी जाये तथा तकनीकी बिन्दुओं को हतोत्साहित किया जाय।
- यह सुनिश्चित करे कि सही दलीलें दी जाय तथा सुसंगत दस्तावेज शुरूआती चरण में ही दाखिल किया जाये।

2—राज्य के विरुद्ध दाखिल सभी सिविल मुकदमों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन या पंचायती राज अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत तथा अन्य परिनियमों के अन्तर्गत एक विधिक नोटिस की आवश्यकता होती हैं। यदि नोटिस की प्राप्ति पर राज्य के सम्बन्धित विभागों द्वारा सूक्ष्म रूप से

वादी के दावों की जांच की जाय और सही दावों को स्वीकार कर लिया जाये तो आगे के विवादों से बचा जा सकता है।

3– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत "समझौते के दलील" के प्रावधान को समाविष्ट किया गया है और इसे आपराधिक मामलों के न्यायालयों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

4– सेवा सम्बन्धी मामलों में प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा छोटे–छोटे मामलों के सम्बन्ध में कर्मचारी के पक्ष में अनुकम्पा पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। इस प्रचलन कि "न्यायालय को निर्णय करने दो" को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

5– राज्य के दण्ड न्यायालयों में छोटे–छोटे आपराधिक मामले भारी संख्या में लम्बित है, जिनके अभियोजन का समाज के लिये कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार के छोटे–छोटे आपराधिक मामलों को चिन्हित करने की आवश्यकता है और उन्हें वापस लेने या उन्हें छोड़ देने के लिये कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिये।

6– राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों की पैरवी करने के लिये प्रत्येक विभाग के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये। ऐसे अधिकारी को विधि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होना चाहिये। मुकदमों के लिये विभाग के सम्बन्धित पदाधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। नोडल अधिकारियों तथा इस प्रकार के पदाधिकारियों को न्यायालयों की प्रक्रिया तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

7– इस नीति में अन्तर्निहित उद्देश्य न्यायालयों में सरकारी मुकदमों को कम करना भी है ताकि न्यायालय के कीमती समय को अन्य लम्बित मामलों का निपटारा करने में लगाया जा सके, जिससे कि विचाराधीनता के औसत समय को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किये जाने के राज्य विधिक मिशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कल्याणकारी विधायन, समाज सुधार पर विशेष जोर देकर मुकदमों में प्राथमिकीकरण को अपनाना होगा और निर्बल वर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों और अन्य वर्गों, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, को अनिवार्यतः अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।

8– नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सावधानी पूर्वक की जानी चाहिये। इस नीति जिसमें एतद्पश्चात् दिये गये निर्देश सम्मिलित है परन्तु उन तक सीमित नहीं है, के समग्र तथा विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन में नोडल अधिकारी की एक निर्णायक तथा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक मंत्रालय को उपयुक्त नोडल अधिकारी जो विधिक पृष्ठभूमि तथा सुविज्ञता रखता हो, की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी के प्रति सतर्क होना चाहिये। उन्हें इस स्थिति में होना चाहिये कि वे मुकदमों को अति सक्रियता से संभाल सकें। इस प्रकार की नियुक्तियां करने में यह सावधानी रखनी चाहिये कि पदधारियों के पदधारण में निरंन्तरता

हो। इस पद को धारण करने वाले व्यक्तियों में बारम्बार परिवर्तन करने से बचना चाहिये। नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिये ताकि वह यह समझाने की स्थिति में हो कि राज्य मुकदमा नीति के अन्तर्गत उनसे क्या अपेक्षा की जाती है।

9— जवाबदेही इस नीति की कसौटी है। जवाबदेही विभिन्न स्तरों पर होगी, मुकदमों के प्रभारी अधिकारियों के स्तर पर मुकदमों में प्रतिवाद के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के स्तर पर, सभी सम्बन्धित वकीलों तथा नोडल अधिकारियों के स्तर पर। जवाबदेही के एक अंश के रूप में मुकदमों के संचालन का समीक्षात्मक मूल्यांकन होना चाहिये। उत्तरदायित्व को अभिनिश्चित करने के लिये अच्छे मुकदमों, जोकि हारे जा चुके हैं, पर फिर से विचार करना चाहिये तथा उनकी विस्तृत संवीक्षा की जानी चाहिये। उत्तरदायित्व के अभिनिश्चित हो जाने पर उचित कार्यवाही करनी होगी। आत्म संतोष को दूर करना चाहिये तथा उसके स्थान पर प्रतिबद्धता लानी चाहिये।

दो—<u>शासकीय प्रतिनिधित्व</u> :—

क— यद्यपि यह माना जाता है कि शासकीय पैनल वकीलों के विभिन्न वर्गों के लिये व्यापक अवसर प्रदान करते है, तो भी शासकीय पैनल अक्षम और अकुशल व्यक्तियों के भरण पोषण का साधन नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों, जो पैनल में नाम सम्मिलित करने की संस्तुति करते हैं, से अनुरोध है कि ऐसी संस्तुतियां करते समय सतर्कता बरतें और संस्तुत किये गये व्यक्तियों के प्रमाण-पत्रों की जांच विशेष रूप से विधिक ज्ञान और सत्यनिष्ठा के संदर्भ में कर लें।

ख— शासकीय पैनल में आने के इच्छुक व्यक्तियों को पैनल में सम्मिलित करने के पूर्व उनके कौशल और क्षमताओं का निर्धारण करने के लिये प्रत्येक स्तर पर पैनल के गठन के लिये स्क्रीनिंग कमेटी बनायी जायेगी। विधि मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि स्क्रीनिंग कमेटियों के गठन में सम्मिलित होंगे। स्क्रीनिंग कमेटियां अपनी संस्तुतियां विधि मंत्रालय को देंगी। आंतरिक योग्यता के क्षेत्रों, अधिकार—क्षेत्र की विशेषज्ञता और विशिष्टता के क्षेत्रों के पहचान पर बल दिया जायेगा। यह नहीं माना जा सकता है कि सभी प्रकार के मुकदमों का संचालन करने में सभी वकील सक्षम होते हैं।

ग— सरकारी अधिवक्ताओं को भली—भांति सज्जित होना आवश्यक है और उन्हें पर्याप्त अवस्थापना सुविधायें मिलनी चाहिये। यह प्रयास किया जायेगा कि जो अभिकरण सरकारी मुकदमों का संचालन करते हैं उन्हें आधुनिक तकनीकी जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनेट संयोजन आदि उपलब्ध कराया जाये। शोध की सामान्य सुविधायें के साथ—साथ वादों के संकलन तैयार करने के उपस्कर भी सरकारी वकीलों को अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

घ– सरकारी अधिवक्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन के लिये न्यायिक प्रशिक्षण और शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ और उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबन्ध अकादमी, लखनऊ को उपयुक्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। सरकारी वकीलों को विधि की सतत शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये जिसमें विशिष्टता के क्षेत्रों की पहचान करने और उनका सुधार करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। सरकारी वकीलों के प्रशिक्षण के लिये विशेष पाठ्यक्रम, जिसमें विशिष्टता के क्षेत्रों की पहचान और उनमें सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा, तैयार करने में विधि महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया जायेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रभावी शासकीय प्रतिनिधित्व के लिये अपेक्षित मूल्यों को उत्पन्न करने और मन में बैठाने का प्रयास आवश्यक है। सरकारी अधिवक्ताओं को प्रेरित करने की एक प्रणाली विकसित की जानी होगी जिसके अन्तर्गत पहल करने और कठिन परिश्रम को मान्यता दी जायेगी और असाधारण कार्य को पुरस्कृत किया जायेगा।

ङ– सरकार की ओर से अभिवचन का आलेख बनाने में विशेष कौशल को विकसित करने के लिये इच्छुक, ऊर्जावान और योग्य वकीलों का पैनल बनाया जायेगा। ऐसे पैनलों में लचीलापन होगा। अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे कुशाग्रता, ज्ञान और रूचि प्रदर्शित करके ऐसे पैनलों में सम्मिलित हों।

च– नोडल अधिकारी मुकदमों के सक्रिय प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होंगे। इनमें वादों का निरन्तर अनुश्रवण करना होगा, विशेष रूप से यह परीक्षण करने के लिये कि क्या वाद "दिशाविहीन" तो नहीं हो गया है या अनावश्यक रूप से विलम्बित नहीं हुआ है।

छ– जबकि सरकार ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं कर सकती है जिसे निजी वादीगण भुगतान करने की स्थिति में होते हैं तो भी सरकारी वकीलों को भुगतान किये जाने वाले शुल्क को लाभकारी बनाये जाने के लिये युक्तिसंगत रूप से पुनरीक्षित किया जायेगा। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग और अपव्यय को दूर करने से शुल्क के पुनरीक्षण के लिये पर्याप्त संसाधन स्वतः उपलब्ध हो जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शुल्क की अनुसूची के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान युक्ति संगत समय में कर दिया जाय। भुगतान जारी करने के सम्बन्ध में कुप्रथाओं को अवश्य ही दूर किया जाना चाहिये।

तीन– <u>स्थगन</u> :–

क– यह स्वीकार करते हुये कि सरकारी वकीलों द्वारा बार–बार स्थगनों का सहारा लिया जाता है, अनावश्यक और बार–बार लिये जाने वाले स्थगनों को

अस्वीकार किया जायेगा और किसी उल्लंघन पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

ख– नये वादों में, जहां सरकार प्रथम दृष्टया वादी या प्रतिवादी है, निर्देश प्राप्त करने के प्रयोजन से युक्तिसंगत स्थगन के लिये आवेदन किया जा सकेगा। तथापि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सुनवाई की अगली तारीख से पूर्व ऐसे निर्देश उपलब्ध करा दिये जायें और संसूचित करा दिये जायें। यदि निर्देश नहीं प्राप्त हो रहे है तो प्रकरण की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को और यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी दी जानी चाहिये।

ग– अपीलीय न्यायालयों में यदि अभिलेख पुस्तिका पूर्ण है तो नियमित प्रक्रिया में अनिवार्यतः स्थगन नहीं प्राप्त किया जायेगा। प्रकरण को पहली ही सुनवाई में व्यवहृत किया जाना चाहिये। ऐसे वादों में स्थगन के लिये आवेदन तभी किया जाना चाहिये जब न्यायालय द्वारा की गयी किसी विशिष्ट पृच्छा का उत्तर दिया जाना अपेक्षित हो और इसके लिये निदेश प्राप्त किया जाना होगा।

चार– <u>अपील दाखिल करना</u> :–

क– एक पक्षीय और अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं दाखिल की जायेगी। पहले यह प्रयास अवश्य होना चाहिये कि आदेश को रद्द कराया जाये। किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तभी दाखिल की जानी चाहिये जब आदेश रद्द नहीं होता है और ऐसे आदेश के बने रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ख– सबसे पहले न्यायालय के भीतर ही अपील दाखिल की जानी चाहिये। उच्चतम न्यायालय में, असाधारण स्थितियों के सिवाय, सीधे अपील नहीं की जानी चाहिये।

ग– यह स्वीकार करते हुये कि अधिकरणों की व्यवस्था का उद्देश्य न्यायालयों के कार्यभार को कम करना है, अधिकरणों के आदेशों को चुनौती आपवादिक रूप से ही दी जानी चाहिये, नैत्यक रूप से नहीं।

घ– सेवा सम्बन्धी मामलों में ऐसे वादों में कोई अपील दाखिल नहीं की जायेगी जहां :–

क–मामला किसी व्यक्तिगत शिकायत से सम्बन्धित है तथा उससे कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी।

ख–मामला पेंशन या सेवानिवृत्तिक लाभों के ऐसे वाद से सम्बन्धित है जिसमें कोई सैद्धान्तिक बिन्दु निहित नहीं है और जिससे कोई नजीर या वित्तीय निहितार्थ प्रवर्तित न होता हो।

ङ– इसके अतिरिक्त, सेवा सम्बन्धी मामलों में केवल इस आधार पर कार्यवाही नहीं दाखिल की जायेगी कि प्रशासनिक अधिकरण के आदेश से बहुत से

कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों के किसी दूसरे वर्ग के विरुद्ध कर्मचारियों के किसी एक वर्ग के हित–समर्थन के लिये अपील दाखिल नहीं की जायेगी।

च– प्रशासनिक अधिकरणों के आदेशों को चुनौती देने के लिए कार्यवाहियां तभी दाखिल की जायेगी, यदि

क– अभिलेख में त्रुटि स्पष्ट हो और निर्णय सरकार के विरुद्ध दर्ज किया गया हो,

ख– अधिकरण का निर्णय किसी सेवा नियमावली या किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन के प्रतिकूल हो,

ग– उस निर्णय से, सेवा के मनोबल के संदर्भ में, प्रशासन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो सरकार याचिका दायर करने को बाध्य होती है, या

घ– यदि उस निर्णय से अन्य संवर्गों पर आवर्ती उलझाव उत्पन्न होता हो या निर्णय में ढेर सारे वित्तीय दावों का किया जाना अन्तर्ग्रस्त हो।

छ– राजस्व से सम्बन्धित मामलों में अपील नहीं दाखिल की जायेगी,

क– यदि दांव की रकमें ऊंची न हो और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाने वाली धनराशि से कम हो,

ख– यदि मामला संबंधित अधिकरण या अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के निर्णयों की श्रृंखला से आच्छादित हो और जिन्हें उच्चतम न्यायालय में चुनौती न दी गयी हों,

ग– जहां निर्धारिती ने दीघ्रकालिक औद्योगिक प्रथा के अनुसरण में कार्य किया हो,

घ– केवल इस कारण से कि आधिकारिक अधिकारियों के मत में परिवर्तन हो गया है।

ज– उच्चतम न्यायालय में अपील दायर नहीं की ज़ायेगी जब तक कि :–

क– मामलें में कानून का बिन्दु सम्मिलित न हो,

ख– यदि यह तथ्य का प्रश्न है, और तथ्य का निष्कर्ष इतना अनुचित है कि उस निष्कर्ष पर कोई साफ़–सुथरा न्यायिक मत नहीं पहुंच सकता है,

ग– जहां सार्वजनिक वित्त प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो,

घ– जहां सार्वजनिक न्याय के साथ सारवान् व्यवधान हो,

ङ– जहां संविधान के अधीन होने वाला कानून का कोई प्रश्न हो,

च– जहां उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया हो,

छ– जहां उच्च न्यायालय ने किसी सांविधिक प्रावधान को अधिकारातीत रूप में अभिखण्डित किया हो,

ज– जहां उच्च न्यायालय की व्याख्या साफतौर पर त्रुटिपूर्ण हो।

झ– प्रत्येक मामले में, कोई अपील दायर करने की आवश्यकता का एक समुचित प्रमाणन होगा। ऐसे प्रमाणन में समर्थन में संक्षिप्त किन्तु तर्कपूर्ण कारण दिये जायेगे। इसी के साथ, वे कारण भी अभिलिखित किये जायेंगे कि अपील दायर करना ठीक या उपयुक्त क्यों नहीं समझा गया।

पांच–परिसीमनः–विलम्बित अपीलेंः–

क– यह स्वीकार किया जा चुका है कि अच्छे मुकदमों में इसलिए हार हो जाती है क्योंकि अपीलें परिसीमा अवधि के काफी बाद और विलम्ब के लिए समुचित स्पष्टीकरण के बिना या विलम्ब की माफी के लिए समुचित आवेदन के बिना दाखिल की जाती हैं। यह स्वीकार किया जा चुका है कि ऐसे विलम्ब हमेशा सदाशयी नहीं होते हैं खासकर के उन मामलों में जिनमें राजस्व की बड़ी बाजियां अन्तर्विष्ट होती हैं।

ख– प्रत्येक विभागाध्यक्ष से अपेक्षा की जायेगी कि विभाग की ओर से दायर किये गये मामलो के विवरणों को मंगा लें और विलम्ब के आधार पर खारिज किए गये मामलों का अभिलेख रखें। नोडल अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष को हर एक मामले की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसमें ऐसे विलम्ब के सभी कारणों को स्पष्ट किया जायेगा और उत्तरदायी व्यक्तियों/कारणों को चिन्हित किया जायेगा। प्रत्येक ऐसे मामलों की जांच की जायेगी और यदि यह पाया जाय कि विलम्ब सद्भावपूर्ण नहीं था तो समुचित कार्यवाही अवश्य की जाय। कार्यवाही इस प्रकार होगी कि वह सरकारी मुकदमों के संचालन में असन्तोषजनक कार्य और कदाचार के निवारक के रूप में कार्य करें। इस प्रयोजनार्थ, आंकड़ों की प्राप्ति और दायित्व का निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आंकड़ों को नियमित रूप से वार्षिक द्वैमासिक या त्रैमासिक अंतराल पर प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग– विलम्ब की माफी के लिए आवेदनों को आजकल बिना विवेक का प्रयोग किये और "ब्वायलर प्लेट" के रूप में गठित पद का अवलंब लेते हुए सामान्यतः प्रचलित रूप से प्रालिखित किया जाता है। यह प्रथा तत्काल बंद होनी चाहिये। यह प्रालेखन अधिवक्ता का दायित्व है कि वह विलम्ब के क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए और कारणों को विशिष्ट रूप से चिन्हित करते हुए विलम्ब की माफी के आवेदन को सावधानीपूर्वक प्रालिखित करे। जो प्रालेखन अधिवक्ता इस बात का अनुपालन करने में विफल रहें उन्हें पैनल से निलम्बित किया/हटाया जा सकता है।

घ– अपीलों/आवेदनों को दाखिल करने में विलम्ब को घटाने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह विलम्बों के उन्मूलन के लिए एक समुचित प्रणाली तैयार करें और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

ङ— परिसीमा की अवधि के बाद दाखिल विलम्बित अपीलों को केवल इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है कि विलम्ब—माफी के प्रति न्यायालयों के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। चूंकि कुछ न्यायालय विलम्ब में उदारतापूर्वक माफी प्रदान करते हैं इसलिए एक सामान्य उदासीनता सी व्याप्त प्रतीत होती है। विलम्ब की माफी हेतु सरकार के प्रति ढिलाई की अपेक्षा रखने की सरकारी अधिवक्ताओं को प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। परिसीमन और विलम्ब के प्रश्न का समाधान इस आधार वाक्य पर किया जाना चाहिए कि विलम्ब की माफी के सम्बन्ध में प्रत्येक न्यायालय कड़ा रुख अपनायेगी।

छ—<u>वैकल्पिक विवाद समाधान माध्यस्थम्</u>:—

क— अधिकाधिक सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेष रूप से ड्रिलिंग संविदाओं, जहाज किराये पर लेने, राजमार्गों के निर्माण इत्यादि के मामलों में माध्यस्थम् का अवलंब ले रहे हैं। माध्यस्थम् संविदाओं को सम्मिलित करते हुए वाणिज्यिक करारों, के सावधानीपूर्वक प्रालेखन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ख— माध्यस्थम् प्रक्रिया को, वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यविधि के रूप में, प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किन्तु इसमें यह दायित्व भी अंतर्निहित है कि ऐसा माध्यस्थम् किफायती प्रभावोत्पादक, त्वरित हो और अत्यन्त ईमानदारी के साथ किया जाय। बहुत से मामलों में माध्यस्थम् न्यायालयी वाद का प्रतिरूप बन गया है। इसे रोका जाना चाहिए।

ग— यह देखा गया है कि वर्तमान में माध्यस्थम् के संचालन में बहुत सी बातें अपेक्षित है। माध्यस्थयों को विभिन्न कारणों से अनावश्यक रूप से खींचा जाता है। इनमें से एक है बार—बार स्थगन प्राप्त किया जाना। इस प्रथा की भर्त्सना की जानी चाहिए और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

घ— विभागाध्यक्ष लंबित माध्यस्थमों के आंकड़े मंगवाएगा। यह मालूम करने के लिए कि माध्यस्थम् में विलम्ब क्यों हुआ है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थगन के लिए कौन उत्तरदायी है। रोजनामा आदि कार्यवाहियों के अभिलेख की प्रतियां माध्यस्थमों का शिथिलतापूर्वक एवं अकुशलता से संचालन करते हुए पाये गए अधिवक्ताओं को ऐसे मामलों का संचालन करने से न केवल हटा लेना चाहिए बल्कि भविष्य में माध्यस्थमों की वकालत करने के लिए अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह माध्यस्थम् सम्बन्धी लंबित मुकदमों की प्रास्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आहूत करें।

ङ— माध्यस्थम् करारों के प्रारूप को तैयार करने में परिशुद्धता की कमी माध्यस्थम् की कार्यवाही में विलम्ब का मुख्य कारण है। इसमें मध्यस्थ की नियुक्ति और विवेचन योग्यता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसके परिणाम

स्वरूप माध्यस्थम् के प्रारम्भ होने के पूर्व ही दीर्घकालिक मुकदमेंबाजी आरम्भ हो जाती है। माध्यस्थम् करार का प्रारूप तैयार करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। इसमें पक्षकारों का आशय ठीक और स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होना चाहिए। विशेषकर यदि कतिपय मदों को अभिहित व्यक्तियों के निर्णय के लिए छोड़े जाने की आवश्यकता हो, जैसे कि अभियंतागण माध्यस्थम् के लिए सन्दर्भित करने के लिए तात्पर्यित नहीं होते हैं

च– जब मध्यस्थों की नियुक्ति का समय होता है तो माध्यस्थम् करार का प्रारूप बहुत गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से तैयार किया जाता है। माध्यस्थम् करार में मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए सुपरिभाषित प्रक्रिया अवश्य प्रदर्शित होनी चाहिए। तीन मध्यस्थों के एक पैनल पर एकमात्र मध्यस्थ को वरीयता प्रदान की जा सकती है। तकनीकी मामलों को, सेवानिवृत्त न्यायिक व्यक्तियों के स्थान पर प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों को सन्दर्भित किया जा सकता है।

छ– यह भी देखा गया है कि कतिपय विभागों या निगमों द्वारा कतिपय व्यक्तियों को मध्यस्थों के रूप में वरीयता प्रदान की जाती है। मध्यस्थ का चयन मात्र ज्ञान, कौशल और सत्यनिष्ठा के आधार पर ही किया जाना चाहिए, न कि वाह्य कारणों से। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि क्या मध्यस्थ संदर्भों के त्वरित निस्तारण के लिए समय लगाने की स्थिति में होगा।

ज– यह देखा गया है कि यदि कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय सरकार के विरुद्ध होता है, तो उसको लगभग एक ही तरह से माध्यस्थम में दाखिल आपत्तियों के रूप में चुनौती दी जाती है। प्रायः इन आपत्तियों में गुणवत्ता की कमी होती है और उनका आधार न्यायालय के समक्ष चुनौती के क्षेत्र की परिधि के भीतर नहीं होता है। माध्यस्थम अधिनिर्णयों के प्रति नैत्यक चुनौती को अनिवार्य रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिनिर्णयों को चुनौती देने की कार्यवाही करने के निर्णय के पूर्व अधिनिर्णय को चुनौती देने के कारणों का स्पष्ट प्रतिपादन किया जाना चाहिए।

सात– <u>विशिष्टीकृत मुकदमा</u> :–

क– न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसमें संविदाओं या निविदाओं को स्वीकृत किये जाने के मामले सम्मिलित हैं, हेतु की जाने वाली कार्यवाहियां ऐसे मामलों की प्रतिरक्षा संवैधानिक आवश्यकताओं और सुशासन को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। यदि कार्यवाहियां नैसर्गिक न्याय के भंग के किसी अभिकथन पर आधारित हों और यह पाया जाय कि अभिकथन सारपूर्ण है तो मामले पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और उक्त मामलें में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए आदेश को अपास्त किया जा सकता है। ऐसे मुकदमों, जिनमें परियोजनाएं अवरुद्ध हो सकती है, को लोक हित को ध्यान

में रखकर उनकी प्रभावशाली रूप से प्रतिरक्षा की जानी होगी। उनकी पैरवी और निस्तारण यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाना चाहिए।

ख– <u>शक्तिमत्ता या परिनियमों या नियमों एवं विनियमों से अन्तर्वलित मामले</u> :–

ऐसे समस्त मकुदमों में उचित शपथ पत्र दाखिल किए जाने चाहिए जिसमें परिनियम या विनियम के मध्य तर्काधार का स्पष्टीकरण होना चाहिए और विधायी दक्षता के सम्बन्ध में उचित प्रकथन भी दिया जाना चाहिए।

ग–<u>लोकहित के मुकदमें</u>:–

लोकहित के मुकदमों पर सन्तुलित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। एकतरफ, लोक हित के मुकदमों को सुविधा के मामले के रूप में इस आशय से नहीं लिया जाना चाहिए कि सरकार को जो असुविधाजनक लगे उसे न्यायालय को करने दो। यह विदित है कि लोकहित के मुकदमों में वृद्धि इस धारणा से उत्पन्न होती है कि सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है। इस धारणा में परिवर्तन आना चाहिए। यह अवश्य विदित होना चाहिए कि लोकहित के अनेक मुकदमें गौण कारणों से, जिसमें प्रसिद्धि सम्मिलित है और तृतीय पक्ष की प्रेरणा पर दायर किए जाते हैं। ऐसे मुकदमों की असद्भावपूर्णता अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिए।

लोक संविदाओं को चुनौती देने वाले लोकहित के मुकदमों का गम्भीरता पूर्वक प्रतिवाद किया जाना चाहिए। यदि ऐसी परियोजनाओं को रोकने के अन्तरिम आदेश पारित कर दिए गये हों तो, लोकहित के मुकदमों के अन्ततः अस्वीकृत किए जाने की दशा में, वादियों द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए उचित शर्तों पर बल दिया जाना चाहिए।

घ–<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मुकदमें</u>:–

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य मुकदमेंबाजी से अत्यन्त चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसे मुकदमेंबाजी को रोकने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए। ऐसी मुकदमेबाजी प्रारम्भ किए जाने के पूर्व, मामले को सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चतम प्राधिकारी यथा.सी0एम0डी0 अथवा एम0डी0 के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह देखने का प्रयास करें कि क्या मुकदमेंबाजी से बचा जा सकता है। यदि मुकदमेंबाजी से बचा न जा सके तो विवाद के निपटारे के वैकल्कि तरीकों, जैसे मध्यस्थता पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 का व्यापक रूप से आश्रय लिया जाना चाहिए।

आठ– <u>लम्बित मुकदमों की समीक्षा</u> :–

क–सरकार को अन्तर्वलित करने वाले सभी लम्बित मुकदमों की समीक्षा की जायेगी। इस काफी श्रम साध्य प्रक्रिया में सभी लम्बित के आंकड़ों का एकत्रीकरण भी सम्मिलित होगा जो समस्त सरकारी विभागों (जिनके अन्तर्गत

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हैं) द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी लम्बित मुकदमों की समीक्षा करने और सराहनीय मामलों में से तुच्छ और कष्टप्रद मामलों को छांटने के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का कार्यालय भी उत्तदायी होगा।

ख–इस नीति के कार्यान्वयन और जवाब देही का अनुश्रवण करने के लिए राज्य सशक्त समिति होगी। नोडल अधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त सुसंगत आंकड़े राज्य सशक्त समिति को भेज दिये जायें। राज्य सशक्त समिति की अध्यक्षता राज्य के महाधिवक्ता द्वारा की जायेगी। तथा उसमें सरकार द्वारा नामित विभाग के छः वरिष्ठ प्रमुख सचिव एवं प्रमुख सचिव, न्याय तथा विधि परामर्शी, सदस्य सचिव होंगे। चार आचंलिक सशक्त समितियां होगी जिनकी अध्यक्षता राज्य के महाधिवक्ता द्वारा नामित अपर महाधिवक्ता द्वारा की जायेगी। इसमें सदस्य के रूप में विभागों के छः प्रमुख सचिव सम्मिलित होगे तथा सदस्य सचिव के रूप में विधि मंत्रालय द्वारा नामित विशेष सचिव, विधि और अपर विधि परमर्शी भी सम्मिलित होंगे। आंचलिक सशक्त समिति राज्य सशक्त समिति को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जो उसके पश्चात विस्तृत प्रतिवेदन विधि मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। सशक्त समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुझाव और जिनके अन्तर्गत वादियों और सरकारी विभागों से प्राप्त सुझाव व आपत्तियां भी है को प्राप्त करके उनका निस्तारण करे और उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे। आंचलिक सशक्त समिति को मामलों का विभाग और जिलेवार वितरण न्याय विभाग द्वारा किया जायेगा।

ग–मुकदमों को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध किया जायेगा। वर्गीकृत करने की पद्धति आरम्भ की जानी चाहिए जिससे मुकदमों को अन्तर्वलित विषय और परिनियम के अनुसार एक विशिष्ट पहचान संख्या निर्दिष्ट की जायेगी। वस्तुतः उप वर्गीकरण का भी प्रयास किया जायेगा। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मानक पत्र अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए जिसे अधिवक्तागण को मुकदमा दायर करते समय भरना होगा। श्रेणीबद्धता को लागू करनें और ऐसे मुकदमों जिन्हें वापस लिया जा सकता है को चिन्हित करने और मुकदमों की समीक्षा करने के लिए पैनलों की स्थापना की जायेगी। इनके अन्तर्गत ऐसे मुकदमों होंगे जो न्यायालय के निर्णय द्वारा आच्छादित हैं और ऐसे मुकदमें भी हैं जो गुण से रहित होने के कारण वापस ले लिये गये हैं इसका कार्यान्वयन समयबद्ध रीति से किया जाना चाहिए।

STATE LITIGATION POLICY

INTRODUCTION

Whereas at the National Consultation for Strengthening the Judiciary toward Reducing Pendency and Delays held on the 24th and 25th October, 2009 the Union Minister for Law and Justice, presented resolutions which were adopted by the entire Conference unanimously.

And wherein the said Resolution acknowledged the initiative undertaken by the Government of India to frame a National Litigation Policy with a view to ensure conduct of responsible litigation by the Central Government and urges every State Government to evolve similar policies.

In pursuance of the National Litigation Policy and with a view to reduce the pendency in the courts and to ensure speedy disposal of cases, the Government of Uttar Pradesh hereby frame a State Litigation Policy.

The State Litigation Policy is us under:–

I. OBJECTIVE

1. The objective of the State Litigation Policy is to overcome the huge pendency of cases and to ensure expeditious disposal of cases. The State is the largest litigant and it must pursue the cases like a responsible litigant with a view to protect the rights of citizen.

AS A RESPONSIBLE LITIGANT THE STATE MUST

- Ensure that good cases are won and bad cases are not needlessly persevered.
- Not pursue cases like an ordinary litigant with a motive to win cases at any cost.
- Not resort to litigation for the sake of litigation.
- Ensure that falls pleas are not taken and technical points are discouraged.
- Ensure that correct pleas are taken and relevant, documents are filed at an early stage.

2. In all civil cases filed against the State, a legal notice u/s 80 C.P.C. or u/s 106 Panchayat Raj Act and under other statutes is required. If on the receipt of notice the, concerned departments of the State, minutely scrutinize the claim of the plaintiff and concede to the genuine claims, further disputes can be avoided.
3. Under the Criminal Procedure Code 1973, provision for 'PLEA OF BARGAINING' has been incorporated and it should be encouraged in the courts in the criminal matters.
4. In service matters a compassionate attitude should be adopted by the administrative authorities in favour of the employee in respect of petty

matters. The practice that 'LET THE COURT DECIDE' needs to be discouraged.

5. A huge amount of petty criminal cases is pending in the criminal courts in the, State, the prosecution of which is of no use for the society. Such petty criminal cases needs to be identified and proceeding should, be initiated either to withdraw them or to drop them.

6. For pursuing the cases against the State, a Nodal Officer should be appointed for every department. Such officer should be an experienced one in the field of Law. The concerned official of the department should be made accountable for the cases. Nodal Officer and such official should be given training with regards the practice and working of the courts.

7. The purpose underlying this policy is also to reduce Government litigation in courts so that valuable court time would be spent in resolving other pending cases so as to achieve the Goal in, the State Legal Mission to reduce average pendency time from 15 years to 3 years. Prioritization in litigation has to be achieved with particular emphasis on welfare legislation, social reform, weaker sections and senior citizens and other categories requiring assistance must be given utmost priority.

8. The appointment of Nodal Officers must be done carefully. The Nodal Officer has a crucial and important role to play in the overall and specific implementation of this Policy, including, but not limited to the references made hereinafter. Every Ministry must be mindful of the responsibility to appoint proper Nodal Officers who have legal background and expertise. They must be in a position to pro-actively manage litigation. Whilst making such appointments, care must be taken, to see that there is continuity in the incumbents holding office. Frequent changes in persons holding the position must be avoided. Nodal Officers must also be subjected to training so that they are in a position to understand what is expected of them under the State Litigation Policy.

9. Accountability is the touch-stone of this Policy. Accountability will be at various levels; at the level of officers in charge of litigation, those responsible for defending cases, all the lawyers concerned and Nodal Officers. As part of accountability, there must be critical appreciation on the conduct of cases. Good cases which have been lost must be reviewed and, subjected to detailed scrutiny to ascertain responsibility. Upon ascertainment of responsibility, suitable action will have to be taken. Complacency must be eliminated and replaced by commitment.

II. GOVERNMENT REPRESENTATION

A) While it is recognized that Government panels are a broad based opportunity for a cross section of lawyers, Government Panels cannot be

vehicles for sustaining incompetent and insufficient persons. Persons who recommend names for inclusion on the Panel are requested to be careful in making such recommendations and to take care to check the credentials of those recommended with particular reference to legal knowledge and integrity.

B) Screening Committees for constitution of Panels will be introduced at every level to access the skills and capabilities of people who are desirous of being on Government Panels before their inclusion on the Panel. The Ministry of Law shall ensure that the constitution of Screening Committees will include representatives of the Department concerned. The Screening Committees will make their recommendations to the Ministry of Law. Emphasis will be on identifying areas of core competence, domain expertise and areas of specialization. It cannot be assumed that all lawyers are capable of conducting every form of litigation.

C) Government advocates must be well equipped and provided with adequate infrastructure. Efforts will be made to provide the agencies which conduct Government litigation with modern technology such as computers, internet links, etc. Common research facilities must be made available for Government lawyers as well as equipment for producing compilations of cases.

D) Training programs, seminars, workshops, and refresher courses for Government advocates must be encouraged and for organizing such workshops suitable funds should be allotted to the Institute of Judicial Training & Research, U.P., Lucknow and U.P. Academy of Administration and Management, Lucknow. There must be continuing legal education for Government lawyers with particular emphasis on identifying and improving areas of specialization. Law schools will be associated in preparing special courses for training of Government lawyers with particular emphasis on identifying and improving areas of specialization. Most importantly, there must be an effort to cultivate and instill values required for effective Government representation. A system of motivation has to be worked out for Government advocates under which initiative and hard work will be recognised and extraordinary work will be rewarded.

E) Panels will be drawn up of willing, energetic and competent lawyers to develop special skills in drafting pleadings on behalf of Government. Such Panels shall be flexible. More and more advocates must be encouraged to get on to such Panels by demonstrating keenness, knowledge and interest.

F) Nodal Officers will be responsible for active case management. This will involved constant monitoring of cases particularly to examine whether cases have gone "off track" or have been unnecessarily delayed.

G) While Government cannot pay fees which private litigants are in a position to pay, the fees payable to Government lawyers will be suitably revised to make it remunerative. Optimum utilisation of available resources and elimination of wastage will itself provide for adequate resources for revision of fees. It should be ensured that the fees stipulated as per the Schedule of Fees should be paid within a reasonable time. Malpractice in relation to release of payments must be eliminated.

III. ADJOURNMENTS

A) Accepting that frequent adjournments are resorted to by Government lawyers, unnecessary and frequent adjournments will be frowned upon and infractions dealt with seriously.

B) In fresh litigations where the Government is a Defendant or a Respondent in the first instance, a reasonable adjournment may be applied for, for obtaining instructions. However, it must be ensured that such instructions are made available and communicated before the next date of hearing. If instructions are not forthcoming, the matter must be reported to the Nodal Officer and if necessary to the Head of the Department.

C) In Appellate Courts, if the paper books are complete, then adjournments must not be sought in routine course. The matter must be dealt with at the first hearing itself. In such cases, adjournments should be applied for only if a specific query from the court is required to be answered and for this, instructions have to be obtained.

IV. FILING OF APPEALS

A) Appeals will not be filed against ex-parte ad interim orders. Attempt must first be to have the order vacated. An appeal must be filed against an order only if the order is not vacated and the continuation of such order causes prejudice.

B) Appeals must be filed intra court in the first instance. Direct appeals to the Supreme Court must not be resorted to except in extraordinary cases.

C) Given that Tribunalisation is meant to remove the loads from Courts, challenge to orders of Tribunals should be an exception and not a matter of routine.

D) In Service Matters, no appeal will be filed in cases where :

a) the matter pertains to an individual grievance without any major repercussion;

b) the matter pertains to a case of pension or retirement benefits without involving any principle and without setting any precedent or financial implications.

E) Further, proceedings will not be filed in service matters merely because the order of the Administrative Tribunal affects a number of employees.

Appeals will not be filed to espouse the cause of one section of employees against another.

F) Proceedings will be filed challenging orders of Administrative Tribunals only if –

a) There is a clear error of record and the finding has been entered against the Government.

b) The judgment of the Tribunal is contrary to a service rule or its interpretation by a High Court or the Supreme Court.

e) The judgment would impact the working of the administration in terms of morale of the service, the Government is compelled to file a petition; or

d) If the judgment will have recurring implications upon other cadres or if the judgment involves huge financial claims being made.

G) Appeals in Revenue matters will not be filed :

a) if the stakes are not high and are less than that amount to be fixed by the Revenue Authorities;

b) If the matter is covered by a series of judgments of the Tribunal or of the High Courts which have held the field and which have not been challenged in the Supreme Court;

c) where the assessee has acted in accordance with long standing industry practice;

d) merely because of change of opinion on the part of jurisdictional officers.

H) Appeals will not be filed in the Supreme Court unless :

a) the case involves a question of law;

b) It is a question of fact, the conclusion of the fact is so perverse that an honest judicial opinion could not have arrived at that conclusion;

c) Where public finances are adversely affected;

d) Where there is substantial interference with public justice;

e) Where there is a question of law arising under the Constitution;

f) Where the High Court has exceeded its jurisdiction;

g) Where the High Court has struck down a statutory provision as ultra vires;

h) Where the interpretation of the High Court is plainly erroneous.

I) In each case, there will be a proper certification of the need to file an appeal. Such certification will contain brief but cogent reasons in support. At the same time, reasons will also be recorded as to why it was not considered fit or proper to file an appeal.

V. LIMITATION : DELAYED APPEALS

A) It is recognized that good cases are being lost because appeals are filed well beyond the period of limitation and without any proper explanation for the delay or without a proper application for condonation of delay. It is recognized that such delays are not always bonafide particularly in cases where high revenue stakes are involved.

B) Each Head of Department will be required to call for details of cases filed on behalf of the Department and to maintain a record of cases which have been dismissed on the ground of delay. The Nodal Officers must submit a report in every individual case to the Head of Department explaining all the reasons for such delay and identifying the persons/causes responsible. Every such case will be investigated and if it is found that the delay was not bonafide, appropriate action must be taken. Action will be such that it operates as a deterrent for unsatisfactory work and malpractices in the conduct of Government litigation. For this purpose, obtaining of the data and fixing of responsibility will play a vital role. Data must be obtained on a regular basis annually, bi-monthly or quarterly.

C) Applications for condonation of delay are presently drafted in routine terms without application of mind and resorting to word processed "boiler plate." This practice must immediately stop. It is responsibility of the drafting counsel to carefully draft an application for condonation of delay, identifying the areas of delay and identifying the causes with particularly. Drafting advocates who fail to adhere to this may be suspended/removed from the Panel.

D) Every attempt must be made to reduce delays in filing appeals/applications. It shall be responsibility of each Head of Department to work out an appropriate system for elimination of delays and ensure its implementation.

E) Belated appeals filed beyond the period of limitation cannot be approached merely from the point of view that courts have different approaches towards condonation of delay. Since some courts liberally grant condonation of delay, a general apathy seems to have taken over. The tendency on the part of Government counsel to expect leniency towards Government for condonation of delay must be discouraged. The question of limitation and delay must be approached on the premise that every court will be strict with regard to condonation of delay.

VI. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ARBITRATION

A) More and more Government departments and PSUs are resorting to arbitration particularly in matters of drilling contracts, hire of ships, construction of highways etc. Careful drafting of commercial contracts, including arbitration agreements must be given utmost priority.

B) The resort to arbitration as an alternative dispute resolution mechanism must be encouraged at every level, but this entails the responsibility that such an arbitration will be cost effective, effacacious, expeditious, and conducted with high rectitude. In most cases arbitration has become a mirror of court litigation. This must be stopped.

C) It is recognized that the conduct of arbitration at present leaves a lot to be desired. Arbitrations are needlessly dragged on for various reasons. One of them is by repeatedly seeking adjournments. This practice must be deplored and stopped.

D) The Head of Department will call for the data of pending arbitrations. Copies of the roznama, etc. (record of proceedings) must be obtained to find out why arbitrations are delayed and ascertain who is responsible for adjournments. Advocates found to be conducting arbitrations lethargically and inefficiently must not only be removed from the conduct of such cases but also not briefed in future arbitrations. It shall be the responsibility of the Head of Department to call for regular review meetings to assess the status of pending arbitration cases.

E) Lack of precision in drafting arbitration agreements is a major cause of delay in arbitration proceedings. This leads to disputes about appointment of arbitrators and arbitrability which results in prolonged litigation even before the start of arbitration. Care must be taken whilst drafting an arbitration agreement. It must correctly and clearly reflect the intention of the parties particularly if certain items are required to be left to the decision of named persons such as engineers are not meant to be referred to arbitration.

F) Arbitration agreements are loosely and carelessly drafted when it comes to appointment of arbitrators. Arbitration agreements must reflect a well defined procedure for appointment of arbitrators. Sole arbitrator may be preferred over a Panel of three Arbitrators. In technical matters, reference may be made to trained technical persons instead of retired judicial persons.

G) It is also found that certain persons are "preferred" as arbitrators by certain departments or corporations. The arbitrator must be chosen solely on the basis of knowledge, skill and integrity and not for extraneous reasons. It must be ascertained whether the arbitrator will be in a position to devote time for expeditious disposal of the reference.

H) It is found that if an arbitration award goes against Government it is almost invariably challenged by way of objections filed in the arbitration. Very often these objections lack merit and the grounds do not fall within the purview of the scope of challenge before the courts. Routine challenge to arbitration awards must be discouraged. A clear formulation of the reasons of challenge Awards must precede the decision to file proceedings to challenge the Awards.

VII. SPECIALISED LITIGATION

A) Proceedings seeking judicial review including in the matter of award of contracts or tenders.

Such matters should be defended keeping in mind Constitutional imperatives and good governance. If the proceedings are founded on an allegation of the breach of natural justice and it is found that there is substance in the allegations, the case shall not be proceeded with and the order may be set aside to provide for a proper hearing in the matter. Cases where projects may be held up have to be defended vigorously keeping in mind public interest. They must be dealt with and disposed off as expeditiously as possible.

B) Cases involving vires, or statures or rules and regulations.

In all such cases, proper affidavtis should be filed explaining the rationale between the statute or regulation and also making appropriate averments with regard to legislative competence.

C) Public Interest Litigations (PILS)

- Public Interest Litigations must be approached in a balanced manner. On the one hand, PILs should not be taken as matters of convenience to let the courts do what Government finds inconvenient. It is recognized that the increase in PILs stems from a perception that there is governmental inaction. This perception must be changed. It must be recognized that several PILs are filed for collateral reasons including publicity and at the instance of third parties. Such litigation must be exposed as being not bonafide.
- PILs challenging public contracts must be seriously defended. If interim orders are passed stopping such projects then appropriate conditions must be insisted upon for the Petitioners to pay compensation if the PIL ultimately rejected.

D) PSU LITIGATIONS

- Litigation between Public Sector Undertakings *inter-se* between Government Public Sector Undertakings is causing : great concern. Every effort must be made to prevent such litigation. Before initiating such litigation, the matter must be placed before the highest authority in the public sector such as the CMD or MD. It will be his responsibility to Endeavour to see whether the litigation can be avoided. If litigation cannot be avoided; then alternative dispute resolution methods like mediation must be considered. Section 89 of the Code of Civil Procedure must be resorted to extensively.

VII. REVIEW OF PENDING CASES :

A) All pending cases involving Government will reviewed. This Due Diligence process shall involve drawing upon statistics of all pending

mattes which shall be provided to by all Government departments (including PSUs). The Office of the Advocate General and the Additional Advocate General shall also be responsible for reviewing all pending cases and filtering frivolous and vexatious matters from the meritorious ones.

B) The will be State Empowered Committee to monitor the implementation of this policy and accountability. The Nodal Officer and Head of Department will ensure that all relevant data is sent to State Empowered Committee. The State Empowered Committee shall be chaired by the Advocate General of the State and six Senior Principal Secretaries of the Department nominated by the Government with Principal Secretary Law and Legal Remembrancer to be the Member Secretary. There will be four Zonal Empowered Committee to be chaired by an Additional Advocate General nominated by the Advocate General of the State. It shall include Six Principal Secretaries of the Department as member including Special Secretary Law and Additional Legal Remembrancer nominated by the Ministry of Law as Member Secretary. The Zonal Empowered Committee shall submit monthly report to the State Empowered Committee which shall in turn submit Comprehensive Report to the Ministry of Law. It shall be the responsibility of the Empowered Committee to receive and deal with suggestions and complaints including from litigants and Government Departments and take appropriate measures in connection therewith. The distribution of matter to the Zonal Empowered Committee department and District wise shall be done by the Law Department.

C. Cases will be grouped and categorized. The practice of grouping should be introduced whereby cases should be assigned a particular number of identity according to the subject and statute involved. In fact, further sub-grouping will also be attempted. To facilitate this process, standard forms must be devised which lawyers have to fill up at the time of filing of cases. Panels will be set up to implement categorization, review such cases to identify cases which can be withdrawn. These include cases which are covered by decisions of courts and cases which are found without merit withdrawn. This must be done in a time bound fashion.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 6 सा० न्याय--4-2-2011--(2281)--2,000 (कम्प्यूटर / आफसेट)।